अंक ५९

नई दिल्ली, जनवरी २०१५

[निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

श्रीमती सम्पत मीना

श्रीमती सम्पत मीना, आई.जी. (संगठित अपराध), झारखण्ड पुलिस से महिला से संबंधित अपराधों और उनसे निपटने के विभिन्न उपायों के बारे में ज़ीनत मलिक द्वारा लिये गये साक्षात्कार को पाठकों के लिए प्रस्तूत किया जा रहा है।

मैडम, २०१३ में लापता बच्चों के लिए हेल्पलाईन की शुरूआत की गई थी और शिकायत दर्ज कराने में यह बेहद सफ़ल रहा है। कृपया इसके उद्देश्य और कार्य–प्रक्रिया के बारे में बतलाएं। क्या अपने उद्देश्य को पूरा करने में यह सफ़ल हो सकी?

अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, रांची में जागरण प्रोजेक्ट मिसिंग चाईल्ड हेल्प लाईन कार्यरत है। इस हेल्प लाईन का मकसद लापता बच्चों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, उसे ढूँढकर वापस लाकर उसके अभिभावकों के सुपुर्द करना तथा वंचित बाल अधिकारों को उन्हें मुहैया कराना है। इस हेल्पलाईन में जिस लापता बच्चे के संबंध में सूचना प्राप्त होती है उसकी प्रविष्टि संधारित रजिस्टर में की जाती है तथा संबंधित पुलिस अधीक्षकों को उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है। इसके अंतर्गत अभी तक प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या–२०७ है तथा बरामद लापता बच्चों की संख्या १४० है।

आपको अपराध पीड़ित महिलाओं की सहायता करने के लिए जाना जाता है। आपके अनुसार, महिला पीड़ितों से व्यवहार करते हुए पुलिस का फोकस बिंदु क्या होना चाहिए?

मेरे विचार से पुलिसकर्मियों को महिला संबंधी मामलों में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले विभिन्न अपराधों से संबंधित अधिनियमों, प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि कर्मियों को मौलिक और मानवाधिकार संबंधी दिशा निर्देशों का भी अक्षरतः ज्ञान होना कि अनजाने में भी वे उसका उल्लंघन न करें। सबसे महत्वपूर्ण है नजरिया यानि Attitude में परिवर्तन लाने की जिससे उनके आम पूर्वाग्रह दूर हो सकें और वे भलीभांती समझ सकें कि अपराध पीड़ित महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार संवेदनशील तथा सहानुभूतिपूर्ण रहे। इसके लिये विशेष प्रशिक्षण अभियान झारखण्ड राज्य में अपराध अनसुधान विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बिन्दू यह भी है कि पीड़ित महिलाओं के प्रति पुलिसकर्मियों के व्यवहार में किसी प्रकार के नियम का उल्लंघन करने या लापरवाही का मामला सामने आये तो उसके प्रति वरीय पदाधिकारियों को Zero Tolerance की नीति अपनानी चाहिये।

आप जेन्डर अपराध और संबंधित मुद्दों पर माइक्रो मिशन के अंतर्गत, राज्य की नोडल अधिकारी भी हैं और इस पर राज्य में एक उप समिति का गठन भी किया गया है। कृपया इस उपसमिति के उद्देश्य और इसके द्वारा की गई पहल के बारे में बतलाएं।

मिशन ०७ उप समिति का उद्देश्य पुलिस सेवा में महिलाकर्मियों की प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास संबंधी मुद्दों पर अध्ययन करने का है। इसमें निम्नांकित पहलूओं का अध्यन किया जायेगा।

१. भूमिका / कार्य पहचान (कार्य/जीवन के संतुलन को ध्यान में रखते हुए)

२. प्रशिक्षण और कौशल विकास

३. कर्मियों को संवेदीकरण (महिलाएं और पुरूषों के लिए)

४. जेन्डर नीति/युक्ति (जेन्डर के अनुसार बजट तैयार करना भी सम्मिलित है)

हमारे पास कोई गवाह संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह हमारे न्याय प्रणाली की कमज़ोरी है? आपके विचार में गवाह संरक्षण कार्यक्रम में किन पहलूओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए?

गवाहों की सुरक्षा की व्यवस्था अत्यन्त ही आवश्यक है। इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं – गवाहों के नाम, पता इत्यादि के संबंध में यथा संभव गोपनीयता बरतना, गवाही के लिये आते–जाते समय सुरक्षा उपलब्ध कराना, तथा गवाही के उपरान्त यदि कोई Threat हो तो पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराना। उपरोक्त के लिये निम्नांकित व्यवस्था की जा सकती है।

१. साक्षियों के नाम–पते गुप्त रखे जायें तथा अरोप पत्र में दिये गये साक्षियों का नाम गुप्त रखने के लिए न्यायालय से भी अनुरोध किया जाय। साथ ही साक्षियों के नाम की कोडिंग करते हुए सील बंद लिफाफे में गवाहों का कोड संबंधित माननीय न्याराल में समर्पित किया जा सकता है।

२. विचारण में विलम्ब होने के कारण साक्षियों को परेशान करने, दबाव देने या प्रभावित करने का मौका अभियुक्तों को मिलता है। अतः न्यायालय से अनुरोध कर जल्द से जल्द कांड का विचारण आरम्भ करवा कर उसके साक्षी का बयान करवा देना उचित होगा।

३. साक्षियों को प्रतिदिन न्यायालय लाने एवं वापस पहुंचाने में पुलिस को कठिनाई हो तो न्यायालय में आग्रह कर सप्ताह में दो दिन वैसे ।सभी महत्वपूर्ण कांडों के साक्षियों का साक्ष्य लिया जा सकता है और साक्षियों को सूरक्षा प्रदान की जा सकती है।

४. कुख्यात अपराधकर्मियों के विरूद्ध दर्ज केसों से संबंधित गवाहों का ब्यान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराने की व्यवस्था की जाय।

५. यथा संभव साक्षियों को आवश्यकतानुसार अंगरक्षक प्रतिनियुक्त करना चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा हो सके।

क्या आपको लगता है कि पुलिस विभाग को अधिक महिलाओं की ज़रूरत है? यदि 'हां', क्या आपके विचार में सभी स्तरों पर संख्या को बढ़ाया जा सकता है?

मेरे विचार से पुलिस विभाग में सभी संवर्ग Rank & File में महिलाकर्मियों की संख्या अधिक होनी चाहिये। मात्र ०३ प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित है। आवश्यकता इस बात की है कि इन सभी पदों पर नियुक्तियाँ हों तथा उनसे प्रभावी रूप से कार्य लिया जाय।

क्या आप महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की जाँच महिला अधिकारियों से करवाये जाने की वकालत करती हैं? कृपया बतलाएं कि क्यों और क्यों नहीं?

मेरे विचार से महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के लिये मात्र महिला पदाधिकारियों को ही अनुसंधानक बनाया जाय ऐसा आवश्यक नहीं है, इससे अधिक महत्वपूर्ण है महिला संबंधी अपराधों के लिये एक विशेष रूप से प्रशिक्षित टीम जिला स्तर पर हो जिसमें महिला/पुरूष पदाधिकारी शामिल हों जो विभिन्न अधिनियमों, उससे संबंधित प्रक्रियाओं तथा आवश्यक वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान करने की जानकारी रखते हों।

महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में जांच अधिकारी के तौर पर महिला अधिकारियों को किस प्रकार के विशिष्ट प्रशिक्षण से तैयार किया जाएगा?

इसमें निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक हैं:–

१. महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता, लघु कानूनों तथा उससे संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की भलि भांति जानकारी।

१. महिलाओं को Interrogate/ Counselling करने की तकनीकि जानकारी

२. Scientific Aid To Investigation में भलि भांति परांगत होना।

महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आपका पुलिस विभाग किस प्रकार के उपाय कर रहा है?

महिला सुरक्षा से संबंधित निम्न कार्यवाई की गयी है :–

१. झारखण्ड राज्य के सभी जिलों

शेष भाग पृष्ठ २ पर.....

बूझो और जीतो–३७

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड के अंतर्गत, पिछले कुछ महीनों से इसे एक ख़ास विषय पर केन्द्रित करने का निर्णय लिया गया है ताकि पाठकों को विषय विशिष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अनुसार इस बार हम संविधान में उल्लेखित 'मौलिक अधिकारों' से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। आशा है, आपको प्रश्न पसंद आएंगे और आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी/लेंगे।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रूपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं :–

१. क्या पुलिस को अधिकार है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को मेले में प्रवेश से इसलिए रोक दे क्योंकि वह बहुसंख्यकों के रिहाईशी क्षेत्र में आयोजित किया गया था?

२. सभी सरकारी स्कूलों की नौकरियों में ५० प्रतिशत आरक्षण की मांग करने के लिए महिलाओं ने दिल्ली के इंडिया गेट पर मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया। क्या पुलिस गैरकानूनी मांग करने का आरोप लगाकर हटाने के लिए उन पर लाठी चार्ज कर सकती है?

३. सरपंच के घर एक बंधुआ मजदूर बच्ची को देखकर क्या पुलिस सरपंच पर कोई कार्वाही कर सकती है? संबंधित प्रावधान में क्या कहा गया है?

४. क्या पुलिस किसी आरोपी को अपना अपराध कबूल कर उसके साक्ष्य की उगाही के लिए बाध्य कर सकती है? कारण सहित उत्तर दें।

५. क्या किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दण्ड दिया जा सकता है? क्या दो व्यक्तियों की एक साथ हत्या करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दो एफ.आई.आर. दर्ज किया जाएगा?

बूझो और जीतो – ३४ का परिणाम

अक्तूबर २०१४ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं :–

१. हां, द.प्र.सं. की धारा ५०(२) के अनुसार यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जिसने अजमानती अपराध नहीं किया है तो उसे जमानत प्राप्त करने के अधिकार के बारे में बताना होगा।

२. यदि व्यक्ति निर्धन है और वह कोई ज़मानती भी नहीं ला सकता है तो भी द.प्र.सं. की धारा ४३६(१) के प्रतिबंध के अनुसार अदालत उसे व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत दे सकती है।

३. जमानत दो प्रकार के बंधपत्र के आधार पर दिया जाता है। पहला, किसी व्यक्ति या राशी के बदले अदालत को यह आश्वासन दिलाकर कि आरोपी आवश्यकतानुसार अदालत में उपस्थि होगा। दूसरा, केवल उस आरोपी द्वारा अदालत के समक्ष स्वयं को प्रस्तूत करने की जिम्मेदारी लेने पर जो केवल निर्धन और ऐसे लोगों को दिया जाता है जिसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए मौजूद नहीं। द.प्र.सं. की धारा ४३६(१) के प्रतिबंध में इसका उल्लेख किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के एक सप्ताह के भीतर अपने लिए कोई ज़मानती नहीं उपलब्ध कराता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह एक निर्धन व्यक्ति है और उसके द्वारा बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने पर उसे 'व्यक्तिगत मुचलके' पर ज़मानत दे दी जाती है।

४. नहीं, द.प्र.सं. की धारा ४३७(१) के प्रतिबंध ३ के अनुसार केवल इस आधार पर किसी की ज़मानत नामंजूर नहीं की जा सकती है।

५. हां, द.प्र.सं. की धारा ४३६क के अंतर्गत अज़मानती अपराध में भी ज़मानत पाना तब आरोपी को अधिकार बन जाता है जब वह कथित आरोप के लिए निर्धारित दण्ड की आधी अवधि को केस की विचाराधीनता में ही व्यतीत कर चुका हो।

विजेता

इस बार भी बुझो और जीतो–३४ के लिए प्राप्त प्रविष्टियों में हमें किसी के भी सभी उत्तर सही नहीं प्राप्त हुए। इसलिए इस बार किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है।

ज़ीनत मलिक
प्रधान संपादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
(सी.एच.आर.आई.)
तीसरी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली–१६
फोन: ९१ ११ ४३१२०८००, ४३१८०२२९
फैक्स: ९१ ११ २६८६४६८८
ई-मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

आधी आबादी के लिए पुलिसिंग में ३३ प्रतिशत भागीदारी आवश्यक!

किसी देश की कानून व्यवस्था को क़ायम रखने की ज़िम्मेदारी वहां की पुलिस की होती है। कर्तव्यनिष्ठ, सतर्क और समर्पित पुलिस के कंधों पर सभी नागरिकों की सुरक्षा का भार होता है। जिस देश की आबादी में महिला और पुरूष दोनों की भागीदारी लगभग बराबर हो वहां क्या पुलिस बल में यह बराबरी नहीं दिखनी चाहिए? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आधी आबादी के प्रतिनिधित्व के लिए कम से कम ३३ प्रतिशत महिलाएं पुलिस बल में शामिल की जाएं? भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों ने किसी तरह अब इस आवश्यकता को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करना प्रारम्भ किया है लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवसंरचनाओं और दृढ़ ईच्छाशक्ति की अब भी कमी दिखाई देती है। क्योंकि, जहां महिलाओं की पुलिस बल में उपस्थिति नगण्य है वहीं उस छोटे से भाग को भी आवश्यक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।

दिसंबर २०१४ के तीसरे सप्ताह में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति की 'पुलिस बल में महिलाओं की कार्य स्थिति' शिर्षक से नवीनतम रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। समिति ने गृह मंत्रालय द्वारा इसके पहले रिपोर्ट में पुलिस बल में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए की गई सिफ़ारिशों को पूरा न करने पर निराशा जताई। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट १५वीं लोक सभा को २०१३ में सौंपी थी।

महिलाओं के लिए सुविधाओं की कमी के बारे में बात करते हुए, समिति ने कहा कि इस मुद्दे को "लगातार कोशिशों से और सरकार द्वारा राज्यों से समयबद्ध कार्यवाही की सतत देख रेख से ही निपटा जा सकता है।"

इसने सरकार पर पुलिस में ३३ प्रतिशत महिलाओं की संख्या न कर पाने और महिला कर्मियों के लिए आवास न उपलब्ध कराने पर नाराज़गी जतलाई। पहले, समिति ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए घर न उपलब्ध होने को उनके द्वारा बल में शामिल होने में कमी का एक कारण बताया था। इसलिए, समिति ने सरकार को उनके लिए प्रभावकारी रिहाईशी नीति बनाकर इसे अपनाने को कहा था। लेकिन, इसे यह जानकार बेहद निराशा हुई कि कई राज्यों में थाने भी किराये पर लिये गये स्थानों से चलाए जा रहे हैं।

इसके अलावा पहली रिपोर्ट में समिति ने कुल पुलिस में महिलाओं की केवल ५.३३ प्रतिशत भागीदारी को बढ़ाकर ३३ प्रतिशत करने के लिए सरकार से सिफ़ारिश की थी और कहा था कि वह राज्यों के साथ समन्वय बनाकर विशेष भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत इसे पूरा करे। लेकिन, सरकार इस सिफ़ारिश को भी पूरा करने में असमर्थ रही है।

अब, संसदीय समिति और सरकार जहां पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं अधिकतर महिला पुलिसकर्मी यह मानती हैं कि बल में उनके साथ असमान व्यवहार होता है और उनकी नियुक्तियां भी जेन्डर पर आधारित होती हैं। साथ ही, कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें केवल उनके जेन्डर के कारण नियुक्त नहीं किया जाता है।

संसदीय समिति में इस रिपोर्ट के पेश किये जाने से पहले, इसी वर्ष गुवाहाटी में आयोजित पुलिस में महिलाओं के राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित १८७ महिला प्रतिनिधियों में से १११ के साथ किये गये सर्वेक्षण में पाया गया कि निचले स्तर पर महिलाएं जहां अपने काम से संतुष्ट हैं वहीं डी.जी. स्तर की महिला अधिकारी और ४ ए.डी.जी. स्तर की महिला अधिकारियों ने यह बताया कि उन्हें सक्रिय नियुक्तियों से केवल उनके जेन्डर के कारण मना किया गया।

वहीं २७ प्रतिशत सहभागियों ने बतलाया कि कुछ केसों में उन्हें केवल जेन्डर के कारण कम महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया। अधिकतर वरिष्ठ महिला अधिकारियों को यह महसूस होता है कि उनकी व्यवसायिकता को नहीं माना जाता है। दूसरी ओर जब इस सर्वे में महिला या पुलिस सहकर्मियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने के बारे में पूछा गया तो केवल १३ महिलाओं ने इसकी आधिकारिक तौर पर शिकायत की थी जबकि कुल १११ में से ३२ ने यह दावा किया कि उन्हें प्रताड़ित किया गया था। वहीं पुलिसिंग ड्यूटी के एक और नकारात्मक पहलू को उजागर करते हुए इनमें से ५० प्रतिशत ने यह भी बताया कि काम के कारण उनके पारिवारिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा।

जहां सर्वेक्षण से वर्तमान बल में ५.८७ प्रतिशत मौजूद महिला अधिकारियों को ही समानता और विश्वास नहीं मिल सका है, वहां संसदीय समिति की पहली सिफ़ारिश के अनुसार ३३ प्रतिशत महिलाओं की पुलिस में भागीदारी के लिए सरकार को कोशिश करने की सलाह सफ़ल होती नहीं दिखाई दे रही है। इसका एक मुख्य कारण तो यह है कि सरकार ने विशेष रूप से राज्यों में महिला भर्ती प्रक्रिया को केन्द्र द्वारा आधुनिकिकरण के लिए दिये जा रहे अनुदान से जोड़ने से इंकार कर दिया है। वहीं दूसरा कारण है स्वयं पुलिस संगठन द्वारा आंतरिक प्रबंधन और वास्तविक ईच्छाशक्ति की कमी। क्योंकि बल में मौजूद वरिष्ठ महिला अधिकारियों के साथ यदि जेन्डर पर आधारित नियुक्तियों में छटांव किया जाएगा या उन पर अविश्वास किया जाएगा तो इसके बहूत गंभीर प्रभाव महिला प्रत्याशियों पर होंगे। क्योंकि पुलिसिंग सेवा में आने वाली महिलाएं साधारणतः केवल पैसे कमाने के लिए नहीं आना चाहती बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए सम्मान पाने की लालसा लेकर आती हैं।

इसलिए, सरकार को चाहिए कि सबसे पहले अपने पुरूष पुलिसकर्मियों की मानसिकता को उचित प्रशिक्षण द्वारा बदलें ताकि वह यह स्वीकार कर सकें कि जहां देश की आधी आबादी महिलाओं की है वहां पुलिसिंग के लिए ३३ प्रतिशत महिलाओं का उपलब्ध होना अति आवश्यक है और यह भी कि महिलाएं पुलिसिंग के सभी कार्यों को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। यदि ऐसा होगा तो आंतरिक भेद भाव समाप्त हो जाएगा और पुलिस बल में महिला और पुरूष पुलिसकर्मी एक दूसरे को उनके जेन्डर के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर आंकने लगेंगे जिसके प्रभाव से कर्तव्यनिष्ठ महिला पुलिसकर्मी बल में भर्ती होंगी। साथ ही, सरकार को संसदीय समिति की पहली रिपोर्ट जोकि २०१३ में संसद में पेश की गई थी, में सुझाये गये इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए कि सभी राज्यों को महिलाओं की विशेष भर्ती प्रक्रिया को आधुनिकिकरण अनुदान के अंतर्गत पूरा करने का निर्देश दे। फिर, अगली रिपोर्ट में प्रत्यके राज्य द्वारा इसका अनुपालन कर ३३ प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों की संख्या के उद्देश्य को पूर्ण करने का व्याख्यान साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करे। नई सरकार का बेहतर पुलिसिंग के लिए सबसे पहला और ठोंस कदम यही होगा।

— ज़ीनत मलिक

- क्या आपके विचार में पुलिस में महिलाओं की संख्या ३३ प्रतिशत करना जरूरी है?
- क्या इस टारगेट को पूरा करने के लिए एक वर्ष का समय उचित है?
- क्या इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केन्द्र को अलग से अनुदान देना चाहिए? या
- आपके विचार में, महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है? इस लेख में प्रस्तुत विचारों और उठाये गये प्रश्नों के बारे में आपके क्या विचार हैं। कृपया हमें अवश्य बताएं अपने नाम के साथ या अज्ञात रूप से।

पृष्ठ १ का शेष भाग.....

में महिला थानों एवं महिलों कोषांगों तथा Anti seve-teasing cell की स्थापना की गयी है। सभी महिला थानों एवं महिला कोषांगों के हेल्पलाईन नम्बर का प्रकाशन कराया गया है।

२. अपराध अनुसंधान विभाग के गठित टीम के द्वारा दिल्ली जाकर २२ बच्चियों एवं ६ लड़कों को प्लेसमेन्ट एजेन्सियों के यहां छापामारी कर मुक्त कराया गया है।

३. महिलाओं के विरूद्ध अपराध के रोक थाम हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें सहायक लोक अभियोजक, जिला कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक, सभी महिला थानाप्रभारी, गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षित किया गया है।

४. इसके अतिरिक्त रांची शहर के अन्दर ०४ शक्ति मोबाईल वाहन, जो महिला के विरूद्ध हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिये बनाई गई थी, आरम्भ की गयी है।

५. अनुसंधानकर्ताओं को संवेदशील करने हेतु महिला संबंधी अधिनियमों तथा उनके अनुसंधान के संबंध में तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किया गया है।

महिलाओं की शिकायतों को सुनने और उनके निवारण हेतु मुख्यालय के स्तर से विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी शिकायतें सुनी गयी हैं।

६. साथ ही, अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम, बेहतर अनुसंधान तथा उनके पुनर्वास हेतु विभिन्न सरकारी विभागों की भूमिका के संबंध में एक विस्तृत कार्य–योजना बना कर गृह विभाग को भेजा गया है।

क्या महिला सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आपको अन्य विभागों के साथ समन्वय भी स्थापित करना पड़ता है?

हाँ, महिला सुरक्षा के लिये अन्य विभागों से भी समन्वय बनाना नितान्त आवश्यक है। विगत वर्षों में महिला के विरूद्ध कार्यस्थल एवं अन्य स्थानों पर अपराधिक कांडों में वृद्धि हुई है। महिला के विरूद्ध घटित अपराध बहुआयामी हैं। महिला सुरक्षा देश या राज्य का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है क्योंकि यह कुल जनसंख्या के ५० प्रतिशत भाग को प्रभावित करती है। महिला सुरक्षा के मद्देनजर महिलाओं के सुरक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण तथा महिलाओं के विरूद्ध घटना घटित होने के पश्चात की जाने वाले कार्रवाई के संबंध में गृह विभाग, पुलिसविभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शिक्षा विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, महिला एवं समाज कल्याण विभाग, विधि विभाग, परिवहन विभाग एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रति जवाबदेही निर्धारित करने हेतु एक विस्तृत कार्य योजना गृह विभाग को भेजी गयी है।

अपराध सिद्धि दर को बढ़ाने के लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं? क्या आपके विचार में निम्न जांच के कारण अपराधसिद्धि दर कम है? यदि 'हां' निम्न स्तरीय जांच के क्या कारण हैं?

किसी भी महत्वपूर्ण केस में अभियुक्तों को सजा दिलाये जाने हेतु केस के अनुसंधान को बेहतर बनाये जाने की आवश्यकता है जिसके लिए निम्नलिखित कारगर उपाये किये जा सकते हैं :–

१. सर्वप्रथम केस के बेहतर अनुसंधान हेतु घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाय तथा छोटे से छोटे पदार्थों का संकलन किया जाय।

२. घटनास्थल के आस–पास के साक्षियों को विश्वास में लेकर बयान अंकित किया जाय।

३. अनुसंधान में वैज्ञानिक अनुसंधान की सहायता अवश्य ली जाय जिसके लिए विधिवत पदार्थों को जप्त कर समयानुसार जॉच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाय।

४. काण्ड दैनिकी में साक्षियों का नाम–पता संपर्क नम्बर के साथ स्वच्छ रूप से अंकित किया जाय ताकि उनसे सम्पर्क कर समय पर साक्ष्य हेतु बुलाया जा सके।

५. केस का अनुसंधान जल्द से जल्द पूर्ण करते हुए समयानुसार आरोप पत्र समर्पित किया जाय।

६. आरोप पत्र समर्पित करते वक्त केस से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख केस दैनिकी के साथ न्यायालय में जमा करायी जाय ताकि समयानुसार विचारण प्रारम्भ हो सके।

क्या महिलाओं के केसों में जांच महिला अधिकारियों से करवाया जाना चाहिए?

हाँ, मेरे विचार से कुछ विशेष संवेदनशील मामलों में महिला पदाधिकारियों को ही अनुसंधानक बनाया जाना आवश्यक है, क्योंकि पीड़ित महिलाएं महिला पदाधिकारियों के समक्ष अपनी बात सरलता पूर्वक कह सकती हैं जबकि पुरूष अनुसंधानक के समक्ष महिलाएं असहजता महसूस करती हैं।

क्या आप जानते हैं?

इस श्रृंखला के अंतर्गत इस बार हम दिल्ली पुलिस द्वारा उनके पिछले वर्ष के कार्यों के प्रस्तुतिकरण में से महत्वपूर्ण अंशों को सम्मिलित कर रहे हैं। दिसंबर २०१४ में दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कार्यों की वार्षिक समीक्षा को प्रस्तुत किया। यह presentation उन्होंने अपनी वेबसाईट पर भी डाला है। आशा है, पाठकों को दिल्ली पुलिस की कार्यक्षमता, कार्यशैली और उपलब्धियों का अनुभव हो पाएगा और दूसरे राज्यों द्वारा कुछ अच्छी बातों का अनुकरण भी किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस के पिछले वर्ष के कार्यों का ब्योरा

दिल्ली पुलिस की प्राथमिकताएं

- स्मार्ट पुलिसिंग
- भ्रष्टाचार के विरूद्ध शून्य सहनशीलता
- जनमैत्री एंव प्रतिक्रियात्मक तथा पारदर्शी पुलिसिंग
- पड़ोस की निगरानी – सामुदायिक सहभागिता
- महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिगों की सुरक्षा
- आतंकवाद विरोधी अपाय
- स्ट्रीट क्राईम से निपटना – पुलिस की अधिक दृश्यता
- अपराधों के दर्ज कराने पर ज़ोर
- ट्राफिक विनियमन एंव मार्ग सुरक्षा
- गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए विशेष प्रयत्न

दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च ऑनलाईन मोबाईल एंव ऐप्स

- लॉस्ट रिपोर्ट ऐप
- ट्राफिक पुलिस मोबाईल ऐप
- पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट
- हिम्मत

पुलिसकर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही

अनुशासनात्मक तथा विभागीय कार्यवाही

- ४४ पुलिसकर्मियों और २ डी.एच.जी. के विरूद्ध भ्रष्टाचार के लिए पी.ओ.सी. अधिनियम के अंतर्गत २८ केस दर्ज।
- विभिन्न कृत्यों और भूलों के लिए ५६३ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया।
- ६६५ विभागीय पड़ताल की शुरूआत की गई जिसमें ८५६ पुलिसकर्मियों को सम्मिलित पाया गया।
- ७२७ विभागीय जांच को निपटाया गया।

सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाना

- बॉर्डर चेक पोस्ट और अदालतों को मिलाकर ८५ स्थानों पर ३९३२ सी.सी. टी.वी. कैमरे लगाये जाने का काम पूरा हुआ।
- १३३ स्थानों पर ९१९६ कैमरे लगाने का प्रस्ताव जिसमें ६६२५ कैमरे सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी सम्मिलित होंगे।
- इस स्कीम के अंतर्गत जिन सार्वजनिक स्थानों को कवर किया जाएगा उनमें महत्वपूर्ण मार्केट क्षेत्र, सीमा चेक पोस्ट और अदालतें आदि शामिल होंगी।

अपराधियों का ऑनलाईन रिकॉर्ड

- ✓ वेब आधारित सूचना प्रणाली का संकलन
- दोषसिद्धि/साँठ–गाँठ सत्यापन
- अभयस्तों का रिकॉर्ड
- बंदी/विज़िटर प्रबंधन व्यवस्था (PMS/VMS)
- परोक्ष अपराधी पहचान प्रणाली (CRIS)
- दिल्ली पुलिस इंट्रा
- ✓ २३,२८६ फिंगर प्रिंट तलाशी की पर्ची के डाटा को अपलोड किया गया
- ✓ कारागार विभाग के साथ सूचना आदान–प्रदान कार्यक्रम
- ✓ ज़ोनल इंटिग्रेटेड पुलिस नेट (ZIPNET)
- ✓ चोरी हुये मोबाईल फोन का डाटाबेस
- ✓ डिजिटल क्राईम मैपिंग ऑटोमेटेड
- ✓ फिंगर एण्ड पाम प्रिंट आइडेन्टीफिकेशन सिस्टम (AFPIS)
- स्याही और कागजरहित डाटा लेना
- २.६६ लाख अपराधियों का डाटाबेस
- १४६६ चांस प्रिंट केसों का परीक्षण : ४८ अपराधियों को जोड़ा गया
- फिंगर प्रिंटों के द्वारा २९ अज्ञात शवों की पहचान की गई

सामुदायिक पुलिसिंग

- ✓ परिवर्तन
- ✓ युवा
- ✓ जन संपर्क
- ✓ पहचान
- ✓ आपका अपडेट
- ✓ पड़ोस निगरानी स्कीम
- ✓ व्यापार क्षेत्र निगरानी समूह

महिला सुरक्षा उपक्रम

- ✓ पुलिस हेल्पलाईन (१००)

प्राप्त कॉल्स

- २०१३ : १०,४०९ २०१४ (१५ दिसंबर तक) : १२,५५२
- ✓ महिला हेल्पलाईन नं. (१०९१) को ४ से बढ़ाकर १०

प्राप्त कॉल्स

- २०१३ : ५१,७४३ २०१४ (१५ दिसंबर तक) : ५३,७०८
- ✓ थानों में २४x७ महिला हेल्पलाईन डेस्क

प्राप्त शिकायतें

- २०१३ : ५८,७६६ २०१४ (१५ दिसंबर तक) : ३६,२८४
- ✓ प्रत्येक थाने में महिलाओं द्वारा संभाले जाने वाले समर्पित फ़ोन
- ✓ ४०५ पेइंग गेस्ट निवासों का सुरक्षा ऑडिट
- ✓ २५५ संवेदनशील मार्गों को निगरानी में रखा गया
- ✓ १०० पी.सी.आर. वैनों में महिला अधिकारी
- ✓ परिवर्तन स्कीम के अंतर्गत २३४ बीट
- ✓ थाना स्तरीय समिति का पुनर्गठन और महिला प्रतिनिधियों को शामिल
- ✓ ३०० बस स्टॉप पर विशेष तैनाती
- ✓ २०१४ में १४१ महिला एस.आई और १२०५ महिला कांस्टेबलों की भर्ती की गई
- ✓ स्पेशल कमिश्नर/ट्रैफिक द्वारा गैर सरकारी संगठनों के साथ मासिक मीटिंग
- ✓ भद्दे कॉल्स और स्टॉकिंग की शिकायत को विशेष ध्यान देना
- ✓ २४ x ७ पैट्रोलिंग करने वाली ८५९ वैन रात को देर से लौटने वाली या मुसीबत में फंसी हुई महिलाओं की सहायता करने के निर्देश के साथ
- ✓ महिला सुरक्षा को फोकस करते हुए मोटरसाईकिल पैट्रोल और इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहनों की तैनाती
- ✓ यौन अपराधियों के डाटा को दिल्ली पुलिस की वेबसाईड www.delhipolice.nic.in पर डालना। ऐसे १३६४, अपराधियों के रिकॉर्ड को अपलोड किया गया।
- ✓ अंधेरे इलाकों की पहचान करना
- ✓ लड़कियों के स्कूल व कॉलेजों के खुलने और बंद होने के समय महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती।

जेन्डर संवेदीकरण

जेन्डर संवेदी कार्यक्रम	२०१३	२०१४ (१५ दिसंबर तक)
आयोजित कार्यक्रमों की सं.	२४९	२६७
प्रशिक्षित किये गये पुलिसकर्मियों की सं.	६४०१	७७५५
आत्म रक्षा प्रशिक्षण		
कार्यक्रम	२०१४ (१५ दिसंबर तक)	२०१२ से अब तक
आयोजित कार्यक्रमों की सं.	१४२	९८९
प्रशिक्षित की गई लड़कियों की सं.	१५५८३	१२०१८३

हल केस : एक नई ऊँचाई

अपराध शीर्ष	२०१३	२०१४
डकैती	२३	६५
हत्या	३७१	४२५
हत्या की कोशिश	५०५	६६१
रौबरी	८३८	२८५०
दंगा	८३	१०५
बलात्कार	१३६८	१६६७
स्नैचिंग	१२६८	१८०३
बर्गलरी	७५१	१२४०
कुल चोरी	५३६३	८६६३

ज़मीन और बिल्डिंग

- ✓ उपलब्ध कुल क्वार्टरों की संख्याः १५, ७४८
- ✓ संतुष्टि स्तर : १८.६२ प्रतिशत
- ✓ भविष्य में ६,४८६ क्वार्टरों को बनाने का प्रस्ताव है।
- ६० एकड़ में : धीरपूर में करीब ५००० घर, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, डिस्पेंसरी
- दिल्ली के दूसरे ज़िलों में तकरीबन १५०० स्टाफ क्वार्टर

कल्याण के उपाय

- ✓ दिल्ली पुलिस शिक्षा कोष
- ५,३६९ पुलिसकर्मियों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4. 36 करोड़ रू का अनुदान मंजूर किया गया।
- ✓ शिक्षा के लिए पुलिस फाउंडेशन
- पुलिस कॉलोनियों में १४ स्टडी सेंटर जिसमें मोबाईल वैन स्टडी भी सम्मिलित है।
- ✓ वर्तमान में ४ सेंट्रल कैंटीन चलाई जा रही हैं।
- ✓ दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी
- २४५ मृत पुलिसकर्मियों के परिजनों को ३-३ लाख रू. वित्तीय सहायता दी गई (राशी को बढ़ाकर ३ से ५ लाख कर दी गई है)
- २,५९३ लोगों को विवाह कर्ज़ दिया गया। (लड़कियों की शादी या महिलाओं की अपनी शादी के लिए राशी को १ लाख से बढ़ाकर २ लाख कर दिया गया।)
- २२६ परिवारजनों को १०-१० हजार रू. दाह–संस्कार के लिए दिया गया।
- ✓ विपत्ती सहायता कोष
- १० पुलिसकर्मियों को १-१ लाख की वित्तीय सहायता दी गई।
- ✓ दिल्ली पुलिस शहीद कोष
- २४ परिवारों को १०-२० लाख अनुदान की राशी दी गई।

प्रशिक्षण

- ✓ ११९१ पुलिसकर्मियों का आधारभूत प्रशिक्षण पूर्ण
- ✓ २०७३ पुलिसकर्मियों के लिए प्रमोशनल प्रशिक्षण
- ✓ ५३ विषयों पर २२० शॉर्ट टर्म विशेष कोर्स जिसमें ६,४४३ पुलिसकर्मियों ने भाग लिया
- ✓ वरिष्ठ अधिकारियों, अतिरिक्त डी.सी.पी. और ऊपर के अधिकारियों के लिए हर शनिवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम।

— प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

आपके विचार

महोदय नमस्कार!

लोक पुलिस के नवंबर का अंक प्राप्त हुआ। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा ७ वर्षों से कम दण्ड वाले अपराधों में तुरंत गिरफ़्तारी न करने के बारे में दिये गये निर्णय का प्रस्तुतिकरण सराहनीय है। हांलाकि, मेरे विचार में इसका अनुचित लाभ अपराधियों द्वारा लिया जाएगा और छोटे अपराधों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। गिरफ़्तारी के भय से कई प्रकार के अपराधों से बचाव स्वतः ही हो जाता है क्योंकि एक बार यदि गिरफ़्तारी हो गई तो पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही ज़मानत मिल पाती है और हिरासत के दौरान जो नये या छोटे अपराधी होते हैं उन्हें एकांत में पाश्चाताप भी होता है कि दोबारा ऐसा करने से पहले सौ बार सोचेंगे। लेकिन, वहीं जब उन्हें पता होगा कि छेड़छाड़ और मारपीट जैसे अपराधों में कोई पुलिस पकड़ नहीं सकती तो इसे करने से पहले कोई विचार भी नहीं करेगा। इसका सबसे अधिक नुकसान आम जनता को होगा।

धन्यवाद!

हेड कांस्टेबल, इंदौर
मध्य प्रदेश पुलिस

संपादक जी,

प्रणाम!

मैंने पहली बार इस पत्रिका को एक सहकर्मी के हाँथों में देखा और मुझे यह पहली नज़र में अच्छी लगी। इसमें सभी ओर से पुलिस संबंधित समाचारों का समावेश आकर्षक है। नवंबर के अंक में मैंगलोर में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लाईव देख सकने की तकनीक बेहद रोचक है। हम आशा करते हैं कि हमारे यहां भी हर स्तर पर ऐसा सम्भव हो सके। इसके अलावा मुझे साक्षात्कार भी पसंद आया जहां थाना अध्यक्ष द्वारा जांच के दौरान साक्षियों के सामने न आने के कारण जो कठिनाई होती है उसे उजागर किया गया है। अब मैं नियमित रूप से इसे पढ़ा करूंगी। जांच के दौरान व्यवाहारिक कठिनाईयों से उबरने के लिए किस प्रकार के उपाय लाभप्रद हो सकते हैं, यदि इस विषय पर लेख का समावेश किया जाए तो यह बहुत कारगर सिद्ध होगा।

धन्यवाद!

सहायक निरीक्षक, कोलाबा
सदस्य, मुबंई पुलिस

तथ्य एंव आँकड़े

महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराध					
अपराधों के नाम	२०११	२०१२	२०१३	(१५ दिसंबर तक)	
बलात्कार				२०१३	२०१४
महिलाओं की हत्या	५७२	७०६	१६३६	१५७१	२०६९
छेड़खानी	६५७	७२७	३५१५	३३४५	४१७९
दहेज़ हत्या	१६२	२१४	९१६	८७९	१२८२
भ.द.सं.	४२२	१३४	१४४	१३७	१४७
४०६/४९८ क	१५८५	२०४६	३०४५	२८७७	३००५
दहेज प्रतिशेध अधि.	७	१५	१५	१५	१३
अपहरण/व्यपहरण	२०८५	२२१०	३६०९	३४५४	३८८७
बाल यौन अपराध कानून (POCSOA)	.	.	१३६	१३२	१०५

सौजन्य : दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित वार्षिक प्रेस कांफ्रेंस २०१४ के प्रस्तुतिकरण से।
http://www.delhipolice.nic.in/annualreview2014.html

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

महिला रेलवे यात्रियों के लिए हॉट-स्पॉट सुविधा!

पश्चिमी रेलवे पहली रेलवे सेवा होगी जो हॉट स्पॉट नामक सुविधा उपलब्ध कराएगी – यह एक भौगोलिक स्थिति को चिन्हित करेगी और सी.सी.टी.वी. कैमरे द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। यह पहल विशेष रूप से महिला यात्रियों की सहायता करने के लिए की गई है। इसके अंतर्गत, परेशानी में घिरी महिला को यदि उसकी जान या सम्मान का कोई खतरा महसूस हो तो वह हॉट स्पॉट पर आकर अपना हाथ उठाकर अलार्म जारी करके अधिकारियों को सावधान कर सकेगी।

सभी हॉट स्पॉट को हेल्पलाईन नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। हेल्पलाईन वाले 'हॉट स्पॉट' की स्थापना सभी प्लेटफार्मों पर की जाएगी, विशेषकर महिला डिब्बों के सामने ताकि ट्रेन में सफ़र कर रही महिला यात्री भी सी.सी.टी.वी. कैमरे के द्वारा अगले स्टेशन पर तुरंत अलार्म जारी करके सुरक्षाकर्मियों को सावधान कर सकें। इस प्रकार के पहले हेल्पलाईन की शुरूआत मुंबई के चर्चगेट से ६ जनवरी को, की गई है।

रेलवे मंत्री ने, ६ जनवरी को महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाईल ऐप का उदघाटन किया। जिसे संयुक्त रूप से केन्द्रीय और पश्चिमी रेलवे के 'एम इंडिकेटर' ऐप विकसित करने वालों द्वारा बनाया गया है। 'एम इंडिकेटर' ऐप का उपयोग आम तौर पर रेलवे की समय–सारणी देखने के काम आने वाला ऐप है जो अब, महिलाओं को परेशानी के समय अलार्म भेजने की आज्ञा भी देगा।

पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, चर्च गेट के अलावा ६ अन्य स्टेशनों पर भी हॉट स्पॉट लगाया जाएगा। इसके बाद आर. पी. एफ. महिला यात्रियों की सहायता करेंगे।

श्री आनंद विजय झा, वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त, मुंबई अंचल के अनुसार 'हॉट स्पॉट वाले इन हेल्पालाईनों से महिला यात्रियों की सहायता कम से कम समय में हो पाएगी। इससे निश्चित रूप से सी.सी.टी.वी. कैमरों के प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। डिसप्ले बोर्ड से महिला शिकायतकर्ताओं की स्थिति को जानने में सहायता मिलेगी और इससे घटना के स्थान पर पहुँचने में सहायता मिलेगी।'

महिलाओं की सुरक्षा को रेलवे से यात्रा के दौरान सुनिश्चित करने के लिए हॉट स्पॉट जैसे तकनीक का उपयोग सराहनीय है। और इस पायलट प्रॉजेक्ट की सफ़लता के आकलन के बाद इसे अन्य स्थानों पर विशेषकर महानगरों में अवश्य ही लगाया जाना चाहिए।

(सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, ८ जनवरी २०१४)

वन स्टॉप क्राईसस सेंटर की स्थापना का आदेश

वन स्टॉप क्राईसस सेंटर (OSCC) की आवश्यकता को पहचानते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रहार और बलात्कार के पीड़ितों की सहायता के लिए दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को इस सेंटर की स्थापना करने के लिए अन्य पणधारियों के साथ मीटींग बुलाने का निर्देश दिया है।

न्यायाधीश बदर दुरेज़ अहमद और न्यायाधीश संजीव सचदेवा की खण्डपीठ ने डी.एल.एस.ए. को दो सप्ताह के भीतर दिल्ली पुलिस, स्वास्थ्य सेवा विभाग, अभियोजन निदेशालय, दिल्ली महिला आयोग के प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों के साथ मीटींग आयोजित करने को कहा है।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि क्राईसस सेंटर स्थापित करने के अलावा, मीटींग का उद्देश्य इन केन्द्रों के लिए स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम (SOP) तैयार करना भी होगा। दरअसल, डी.एल.एस.ए. ने अदालत से कहा था कि सभी पणधारियों को एक साथ बैठकर इस मुद्दे पर विचार करके इसके लिए एक एस.ओ.पी. तैयार करना चाहिए। इसने यह भी कहा था कि पीड़ित जिन लोगों के संपर्क में भी आती है उन सभी लोगों को इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। वरिष्ठ वकील श्रीमती इंदिरा जय सिंह ने डी.एल.एस.ए. का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि, "कोई सामान्य रणनीति नहीं है। सभी एजेंसियों का अपना अलग काम करने का तरीका है। हांलाकि, सभी लोग इस ओर अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करते हैं। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से निपटने के लिए कई एस.ओ.पी. हैं।"

अदालत ने डी.एल.एस.ए. को उपरोक्त निर्देश नंदिता धर द्वारा राजधानी में छेड़खानी की घटनाओं के विरूद्ध दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। खण्डपीठ ने अपने पहले आदेश को दोहराते हुए पुलिस को जांच और साक्ष्य एकत्रित करने के वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग पर एक नई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया और कहा कि "आप बेहद धीरे चल रहे हैं। आपका प्रशिक्षण मॉड्यूल और कैप्सूल तैयार नहीं है। आपको इससे बहुत तेज़ चलना चाहिए। इसने यह भी कहा कि जांच प्रक्रिया को "संस्थागत" करने की ज़रूरत है। जब पीड़ितों से निपटना हो तो उसके लिए एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। यह एक नियमित बात होनी चाहिए न कि कोई पसंद की बात होनी चाहिए।"

इसमें कोई संदेह नहीं कि यौन हिंसा या छेड़खानी के केसों की जांच में कई एजेंसियों के आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है और इसके लिए कोई एक एस.ओ.पी. होना बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। इसलिए, डी.एल.एस.ए. को चाहिए कि अदालत के आदेशों का पालन करते हुए अति शीघ्र इसे विकसित करे ताकि पुलिस को भी जांच के दौरान अपनी दिशा तय करने में और प्राथमिकताओं के अनुरूप साक्ष्य एकत्रित करने में सहायता मिले। साथ ही, दिल्ली पुलिस द्वारा अपने पुलिसकर्मियों को साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग से एकत्रित करने के लिए उचित प्रशिक्षण दिलवाकर तैयार करना चाहिए।

(सौजन्य: इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, ८ जनवरी २०१५)

राजनैतिक हस्तक्षेप से पुलिस सेवा में गिरावट आती है!

गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी किया है कि 'राजनेताओं के हस्तक्षेप का परिणाम पुलिस सेवा में विकार का आना है और पुलिस को यह विश्वास होने लगता है कि उनकी पदोन्नति उनके राजनैतिक बॉस की आज्ञाकारिता पर निर्भर करती है न कि उनकी योग्यता पर। इसके कारण जूनियर पुलिसकर्मी विभाग में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की उपेक्षा भी करने लगते हैं।'

दरअसल, न्यायाधीश जे.बी.पर्दीवाला ने मटर के विधायक केसरी सिंह सोलंकी के मामले में पुलिस की कर्महीनता की आलोचना करते हुए अवलोकन किया था जिसने खेड़ा की डी.एस.पी फालगुनी पटेल के नेतृत्व में एक पुलिस टीम के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया था जहां पहले १८ लोगों को एक दलित समुदाय को पीटने का आरोपी बनाया गया था। अदालत ने पुलिस के यू–टर्न पर भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए यह अवलोकन किया था कि 'संबंधित पुलिस ने ऐसा वरिष्ठ अधिकारियों और राजनैतिक प्रभाव के कारण किया है।'

डी.सी.पी. की कर्महीनता और हिचकिचाहट पर विलाप करते हुए न्यायाधीश पर्दीवाला ने स्थिति का आरोप राजनैतिक व्यवहार पर लगाया है। पुलिस सेवा से हस्तक्षेप से, विशेषकर राजनैतिज्ञों द्वारा पुलिसकर्मियों को यह विश्वास दिलाता है कि उनकी पदोन्नति योग्यता के आधार पर नहीं होती बल्कि केवल राजनैतिक आज्ञाकारिता पर निर्भर होता है। न्यायाधीश ने कहा, "राजनैतिक धरातल पर कुछ लोगों के जानबूझकर और निरंतर संवर्धन, कई पुलिसकर्मियों के सामान्य व्यवसायिक कार्य निष्पादन को आम जनता की संतुष्टि के अनुरूप न हो पाने का नुकसान पहुंचाता है। यह प्रक्रिया व्यवस्था को बर्बादी और पूर्ण प्रभावहीनता की ओर ले जाती है।"

न्यायाधीश पर्दीवाला ने कहा कि राजनैतिक प्रभाव पुलिस में नियंत्रण व्यवस्था और सामान्य आदेश की कड़ी को तुरंत नुकसान पहुंचाता है। इसका परिणाम है पुलिस की हाईरार्की की पूर्ण उपेक्षा।

इसलिए, अदालत ने डी.एस.पी. की खिंचाई की और कहा कि उसे तुरंत एम.एल.ए. के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करना चाहिए था जिससे उसके क्षेत्र में विकास के काम की अपेक्षा की जाती है न कि इस प्रकार बदमाशी की और पुलिस के काम में हस्तक्षेप करना उनका काम नहीं है। अदालत ने उसे सलाह दी कि उन्हें स्वयं को याद दिलाना चाहिए कि वह ३१ वर्ष की एक युवा पुलिस अधिकारी हैं और उन्हें काफी लंबी यात्रा करनी है। अगर वह वरिष्ठ अधिकारियों या राजनेताओं के आदेशों के आगे घुटने टेक देंगी, तो शायद कोई भी पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन दक्षता पूर्वक, बहादुरी से और निष्पक्षता से और कानून के अनुसार करने की अवस्था में नहीं होगा।

गुजरात की इस महिला डी.सी.पी. की कर्महीनता पुलिस की व्यवसायिक विवशता का एक जीता जागता उदाहरण है । अब अदालतों को भी पुलिस पर राजनैकितक दबाव से विधि के शासन को कायम रखने में होने वाला नुकसान स्पष्ट दिखने लगा है। हांलाकि, पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार के दबाव से ऊपर उठकर काम करने का रामबाण, स्वंय को कानून के प्रति समर्पित करने की क्षमता विकसित करना हो सकता है। जहां, कानून पालन करने के अलावा वे किसी की अनुपालना को अपना कर्तव्य न समझें।

(सौजन्य: टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, ८ जनवरी २०१५)

हरियाणा को मिला नया पुलिस नेतृत्व!

हरियाणा सरकार ने वाई. पी. सिंगल, एक १९८३ बैच के आई.पी.एस. अधिकारी को राज्य पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति श्री एस.एन. वशिष्ट के स्थान पर हुई है जिन्हें अब राज्य सतर्कता ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है।

हांलाकि, वशिष्ट के हस्तांतरण का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। जबकि, नई सरकार के गठन के बाद इसे एक राजनैतिक कदम माना जा रहा है।

श्री सिंगल ने पंचकुला में कार्यभार संभालने के बाद, राज्य पुलिस के नेतृत्व के लिए अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया, "भ्रष्टाचार से निपटना, विशेषकर थाना स्तर पर – और राज्य में कानून–व्यवस्था को सुधारना मेरी मुख्य प्राथमिकताओं में से होंगी।" उन्होंने यह भी कहा कि थानों के काम काज में सुधार लाने की भी कोशिश की जाएगी और बल को अधिक तकनीक सक्षम बनाया जाएगा। दूसरा फोकस क्षेत्र होगा ड्रग्स एंव अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना।

राज्य के नये डी.जी.पी. की नियुक्ति चाहे जिन भी कारणों से हुई हो लेकिन इससे पुलिस बल को एक नया नेतृत्व मिलेगा और जनता को केवल इस बात से सरोकार होना चाहिए कि उन्हें बेहतर पुलिस सेवा प्राप्त हो। इसके लिए श्री सिंगल द्वारा गिनवाई गई कार्य प्राथमिकताओं का पालन होना बेहद आवश्यक होगा और यदि वह अपने कहे अनुसार थाना स्तर के कार्यकलापों में बेहतरी लाने में सफल हुए तो इससे राज्य पुलिस की काया पलट हो सकती है और राज्य पुलिस की छवि साकारात्मक बन सकती है। नये महानिदेशक को पुलिसिंग में सुधार लाने की कोशिशों के लिए शुभकामनाएं!

(सौजन्य: टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, ९ जनवरी २०१५)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादक : ज़ीनत मलिक, तीसरी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली–११००१६, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००ए फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, वेबसाईट: http//www.humanrightsinitiative.org